

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर

CNR No.UPAN0.040215262026

आदेश

दिनांक: 11.08.2026

अभियुक्तगण शिवपूजन निषाद, योगेश निषाद उर्फ जुगेश व अर्जुन निषाद, मु0अ0सं0-93/2025, अन्तर्गत धारा-115(2),352,351(3) बी0एन0एस0, थाना-बसखारी, जिला अम्बेडकर नगर के प्रकरण में आरोपित हैं। अभियुक्तगण उपस्थित हैं।

जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध मारपीट आदि का आरोप है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। प्रकरण के संबंध में आरोप-पत्र न्यायालय दाखिल है। अतः मामले के समस्त तथ्य परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है।

अतः अभियुक्त **प्रत्येक** द्वारा मु0-20,000/- (बीस हजार रुपये) का एक व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, उन्हें निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है:-

1. वह प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।
2. वह किसी भी साक्षी को प्रभावित नहीं करेगा।
3. वह न्यायालय की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जायेगा।
4. वह साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(संदीप कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अम्बेडकरनगर
जे0ओ0 कोड-2119